तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज नजरसानी/अपील/डिक्री/टी.ए./2435/2003/हनुमानगढ हरीराम बनाम नाथी	नम्बर व तारीख

न्यायालय – राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

खण्डपीठ

श्री राजेश कुमार दड़िया, सदस्य

श्रीमती कमला अलारिया, सदस्य

उपस्थित –

श्री अमृतलपाल सिंह वानर, अधिवक्ता, प्रार्थी

श्री यज्ञदत्त शर्मा, अधिवक्ता, अप्रार्थीगण

निर्णय

दिनांक 21–05–2025

अपीलार्थीगण ने यह नजरसानी प्रार्थनापत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 229 के अन्तर्गत राजस्व मण्डल की माननीय खण्डपीठ द्वारा अपील संख्या 288/1999 बउनवानी हरिराम बनाम मु0 नाथी में पारित निर्णय दिनांक 05–12–2002 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है।

हमने उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी।

विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी ने नजरसानी मीमों में वर्णित तथ्यों की पुनरावर्ती करते हुए मुख्य रूप से तर्क किया कि अप्रार्थी संख्या–2 मृतक पुसाराम पुत्र सरदाराराम जो नाथी के पिता थे का पुत्र है। उक्त तथ्य पंजीकृत गोदनामा दिनांक 15–11–2061 से स्पष्ट है। इस तथ्य का ज्ञान होते हुए भी रेस्पोडेन्ट संख्या– 1 ने अपीलार्थी के साथ धोखा करके अपीलार्थी को उसके विधिक अधिकारों से वंचित किया गया है। प्रार्थी के पक्ष में दिनांक 09–07–1990 को कुल 32 बीघा भूमि का इकरारनामा अप्रार्थी संख्या– 2 मामराज ने राशि 1,55,000 रूपये लेकर निष्पादित करवाया था। उक्त इकरारनामा बतौर दत्तक पुत्र की हैसियत से निष्पादित करवाये जाने के बिन्दु के संबंध में कोई विवेचन एवं विश्लेषण नजरसानीधीन आदेश में नहीं किया गया है। इसी प्रकार नजरसानीधीन आदेश पारित करते हुए मण्डल की खण्डपीठ द्वारा इकरारनामें के आधार पर कोई हक व हकूक उत्पन्न नहीं होने का कथन किया गया है। मण्डल हाजा की खण्डपीठ की उपरोक्त व्याख्या अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश (सिविल न्यायालय) नोहर के समक्ष उक्त विक्रय अनुबंध की पालना में प्रस्तुत वादपत्र के परिप्रेक्ष्य में विधिविरूद्ध व्याख्या है। इसी अनुरूप जब विक्रय अनुबंध के आधार पर सिविल न्यायालय के समक्ष नियमित वादपत्र

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज नजरसानी/अपील/डिक्री/टी.ए./2435/2003/हनुमानगढ हरीराम बनाम नाथी	नम्बर व तारीख
	जैरकार हो तो ऐसी स्थिति में राजस्व न्यायालय समानान्तर कार्यवाही में कोई निर्णय पारित नहीं कर सकता। राजस्व न्यायालय द्वारा पारित निर्णय से सिविल न्यायालय की कार्यवाही प्रभावित होने के आधार पर भी मण्डल की खण्डपीठ द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण एवं पुनर्विलोकन योग्य है। प्रकरण में मण्डल की खण्डपीठ द्वारा इकरारनामा दिनांक 09–07–1990 के संबंध में यह सिद्धांत प्रतिपादित करना कि अप्रार्थी के पक्ष में निष्पादित इकरारनामें से कोई हक हकूक उत्पन्न नहीं होते है उक्त निष्कर्ष स्पष्ट रूप से अभिलेख के मुख पर कारित की गयी त्रुटि परिलक्षित है। अतः नजरसानी प्रार्थनापत्र को स्वीकार कर आक्षेपित निर्णय दिनांक 05–12–2002 को अपास्त करते हुए अपील को पुनः नम्बर पर दर्ज करने के आदेश पारित किये जावे। विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थीगण द्वारा नजरसानी प्रार्थना पत्र पर अपनी बहस में कथन किया कि न्यायालय की खण्डपीठ द्वारा प्रकरण के तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए यह पाए जाने पर कि पक्षकारों के मध्य निष्पादित इकरारनामें के आधार पर कोई दादरसी राजस्व न्यायालय द्वारा प्रदान नहीं की जा सकती है तथा मामला सिविल एवं आपराधिक प्रकृति का होने के आधार पर संबंधित प्राधिकरण के समक्ष चाराजोही करने हेतु आदेशित किया गया है। विधि की यह स्पष्ट मंशा है कि यदि न्यायालय द्वारा लिया गया दृष्टिकोण गलत भी हो तब भी उसे नजरसानी का आधार नहीं माना जा सकता। प्रार्थी द्वारा मिथ्या कथनों के आधार पर नजरसानी प्रार्थना पेश किया गया है जो काबिल निरस्तनीय है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नजरसानी प्रार्थना पत्र को अस्वीकार कर खारिज किया जावे। उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण द्वारा प्रस्तुत बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। प्रस्तुत प्रकरण में नजरसानी मीमों एवं बहस में अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा जिन तथ्यों का उल्लेख किया गया है, उन सभी तथ्यों एवं आक्षेपों बाबत् मण्डल हाजा की खण्डपीठ द्वारा पारित निर्णय दिनांक 05–12–2002 में विस्तृत रूप से विवेचन एवं विश्लेषण करते हुए निर्णय पारित किया जा चुका है। नजरसानी में केवल निर्णय में कोई प्रथम दृष्टया देखते ही भूल प्रकट हो तो ही स्वीकार किये जाने योग्य है। नजरसानीकर्ता द्वारा रिव्यू में उठाये गये आधार पहले ही अपील में तय किये जा चुके है तो वह बिन्दू अभिलेख के मुख पर त्रुटि की श्रेणी में नहीं है। राजस्थान टिनेन्सी एक्ट, 1955 बाई एस.के. दत्त के 2018 के संस्करण की पुस्तक के पेज 617 के बिन्दू (ज) में यह व्यक्त किया है कि "किसी विवादित बिन्दू पर विधि का गलत दृष्टिकोण या विधि का गलत विवेचन या उचित कानून को लागू करने में असफलता को अभिलेख के मुख पर लगती या प्रकट त्रुटि नहीं कहा जा सकता।" पुर्नविलोकन में उठाये गये आधार पहले अपील में ही तय किये जा	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज नजरसानी/अपील/डिक्री/टी.ए./2435/2003/हनुमानगढ हरीराम बनाम नाथी	नम्बर व तारीख

चुके है तो वह अभिलेख के मुख पर त्रुटि नहीं है और कोई नया बिन्दू नहीं उठाया तो पुर्नविलोकन का कोई आधार नहीं है। भूल से निर्णय पारित हुआ हो तो उसका पुर्नविलोकन किया जा सकता है परन्तु त्रुटिपूर्ण निर्णय का नहीं। वैसे भी रिव्यू का क्षेत्राधिकार सीमित होता है रिव्यू में मामले के गुणावगुण पर सुनवाई नहीं हो सकती और ना ही अपील में उठाये जाने वाले बिन्दू रिव्यू के माध्यम से पुनः उठायें जा सकते। रिव्यू अपील का माध्यम नहीं हो सकता। यदि निर्णय से कोई व्यक्ति / पक्षकार पीडित है तो सक्षम न्यायालय में उचित कार्यवाही करने हेतु स्वतन्त्र है। उक्त के परिप्रेक्ष्य में मण्डल हाजा की खण्डपीठ द्वारा पारित निर्णय में हस्तक्षेप का कोई आधार नहीं होने से प्रस्तुत नजरसानी खारिज किये जाने योग्य है।

परिणामतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत यह नजरसानी प्रार्थनापत्र खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल होकर मूल अपील के साथ संलग्न रहें।

निर्णय प्रति मूल प्रकरण की पत्रावली में संलग्न की जावे। पत्रावली बाद इन्द्राज दाखिल दफतर हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कमला अलारिया)
सदस्य

(राजेश कुमार दड़िया)
सदस्य